BULANDSHAHR POLICE

दिनाँक 07 जुलाई, 2024 | CRACKDOWN BULANDSHAHR | थाना कोतवाली नगर

शातिर बदमाश के साथ थाना कोतवाली नगर पुलिस की हुई मुठभेड़, जवाबी कार्यवाही में 25000/- रूपये का पुरस्कार घोषित बदमाश घायलावस्था में गिरफ्तार, कब्जे से अवैध असलहा, कारतूस, बाइक बरामद।

अवगत कराना है कि आज दिनांक 06/07.07.2024 की रात्रि को थाना कोतवाली नगर पुलिस एक अभिसूचना के आधार पर धमेड़ा बस अड्डे के पास संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चैकिंग कर रही थी उसी समय मण्ड़ी चौकी की तरफ से एक बाइक पर 02 संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिये जिनको रूकने का इशारा किया गया तो नही रुके बल्की बाइक को तेजी से मोड़कर धमेड़ा गांव की तफर भागने का प्रयास करने लगे। जिसपर बदमाशो की बाइक धमेड़ा तिराहे पर अनियन्त्रित होकर फिसल गयी। बदमाशों द्वारा अपने आपको पुलिस से घिरता देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गयी, पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हो गया जिसे गिरफ्तार किया गया व दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल की ओर भागने में सफल रहा। जिसकी कांबिंग कर गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। गिरफ्तार/घायल बदमाश की पहचान बादल पुत्र तेज राम सैनी निवासी मौ0 राम बड़ा कस्बा व थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर के रुप में हुई हैं। जिसको उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाश के कब्जे से अवैध असलहा, कारतूस व बाइक बरामद हुई है।

उल्लेखनीय है कि बदमाश शातिर किस्म का अपराधी हैं। अभियुक्त बादल के विरूद्ध दिनांक 21.06.2024 को थाना कोतवाली नगर पर चांद खां की हत्या में संलिप्त होने के सम्बन्ध में मुअसं 505/24 धारा 302/201/120बी भादवि पंजीकृत है जिसकी गिरफ्तारी पर 25000/- रूपये का पुरस्कार घोषित किया गया था अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु निरंतर प्रयास किये जा रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. बादल पुत्र तेज राम सैनी निवासी मौ0 राम बड़ा कस्बा व थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी-

1- 01 पैशन मोटरसाइकिल (बिना नम्बर)

2- 01 तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा, 01 खोखा कारतूस।

अभियुक्त बादल का आपराधिक इतिहास-

1- मुअसं-235/20 धारा 323/307/504/506 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।

2- मुअसं-240/20 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।

3- मुअसं-782/20 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।

4- मुअसं-779/20 धारा 398/401 भादवि थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।

5- मुअसं-423/22 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना सूरजपुर जनपद गौतमबुद्धनगर।

6- मुअसं-132/23 धारा 363/366/376/376(2)(एन) भादवि व 3(1)/3(2)(वी) एससी एसटी एक्ट नागपुर महाराष्ट्र।

7- मुअसं-284/23 धारा 20(बी)(1) NDPS एक्ट रायपुर, छत्तीसगढ़।

8- मुअसं-505/24 धारा 302/201/120बी भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।

9- मुअसं-555/24 धारा 109/317(5) BNS व 3/25/27 आयुध अधि0 थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।

अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली नगर पर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- श्री अनिल कुमार शाही प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर।

2- निरीक्षक श्री सलाउद्दीन थाना कोतवाली नगर।

3- उ0नि0 सोनू बाबू, उ0नि0 मोहसीन, उ0नि0 राहुल, उ0नि0 धीरज राठी।

3- है0का0 कपिल, है0का0 कुल्दीप राठी, है0का0 मोहित।

मीडिया सेल बुलंदशहर